

सं० सं०-एसओआईपीओबी० 201700404.....  
सेवा में

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

**विषय-** मेसर्स राधे गिरधारी कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि० द्वारा महेशखुँट, गोगरी, खगड़िया में कोल्ड स्टोरेज इकाई की स्थापना हेतु एवं निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति एवं ब्याज अनुदान के रूप में कुल ₹० 37,97,563/- (सैंतीस लाख सतानबे हजार पाँच सौ तिरसठ रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश:** स्वीकृत।

**महाशय:**

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स राधे गिरधारी कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि० द्वारा महेशखुँट, गोगरी, खगड़िया में कोल्ड स्टोरेज इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वदु की बैठक दिनांक 07.06.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 12.02.2018 को बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के अलावा में प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह इकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत इकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान योग्य है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वदु सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक 1168, दिनांक 23.07.2018 के द्वारा श्री, सजीत कुमार, सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, खगड़िया द्वारा इकाईयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में इकाई को दिनांक 27.08.2017 से कार्यरत बताया गया है। इकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. इकाई को पूर्व में 31 मार्च, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल ₹० 45,24,456 (मात्र पैंतालिस लाख चौबीस हजार चार सौ छप्पन रूपए) मुग्तान किया जा चुका है।

4. इकाई को 01 अप्रैल, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान ₹० 28,89,163/- (अठारह लाख नवसौ हजार एक सौ तिरसठ रूपए) एवं निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹० 9,08,400 (नौ लाख आठ हजार चार सौ रूपए) अर्थात् कुल ₹० 37,97,563/- (सैंतीस लाख सतानबे हजार पाँच सौ तिरसठ रूपए) का अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो मुग्तान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के महत्तात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री / लीज / हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की राशिका में वृद्धि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iv) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के बहिष्क में गलत पाए जाने पर मुग्तान की गई अनुदान की राशि मुग्तान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि इकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय बहन राज्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं०-3/31-B(Allotment)-16/2018, Order No-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, माँग राशिका 23, उप शीर्ष 0160-प्रौद्योगिक एव पोस्ट प्रौद्योगिक सुविधाओं की योजना, विपत्र सं० 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सक्षिती मद में वालु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबधिता राशि से विकलनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

- 6 इस राशि के निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
- 7 इस राशि की निकाली नया सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से होगी।
- 8 इस राशि की निकाली पूर्व प्राप्ति एसीए पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
- 9 इस राशि का भुगतान राधे गिरधारी कॉल्ड स्टोरेज प्रा० लि० को उनको युनिथन बैंक, महेशखुट शाखा-851213 के खाता संख्या-701106050000001, IPS Code-UBIN0570117 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

ह०/-

(चक्रज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, ए०००आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—ए०००आई०पी०बी० 201700404.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, ए०००आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—ए०००आई०पी०बी० 201700404.....

प्रतिलिपि—वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, ए०००आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—ए०००आई०पी०बी० 201700404/1374

प्रतिलिपि—महाप्रबंधक, विला उद्योग केंद्र, खगड़िया को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मे० राधे गिरधारी कॉल्ड स्टोरेज प्रा० लि०, खगड़िया को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, ए०००आई०पी०बी०

बिहार, पटना।